प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा एक राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जिसे "राष्ट्रीय आयोग" के नाम से जाना जाएगा, स्थापित करती है। इस आयोग में निम्नलिखित सदस्य होंगे अर्थात् :—

1. माननीय न्यायमूर्ति श्री वी.बी. इराडी —अध्यक्ष
   उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश (सेवानिवृत्त)
   2, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली।

2. श्रीमती ए.एस. विजयकर, —सदस्य
   डी-9, विक्रम पुरी, सिकन्दराबाद-500003,
   आन्ध्र प्रदेश।

3. डा. ए.के. घोष, —सदस्य
   78, मुनीरका एन्कलेव,
   नई दिल्ली-110067

4. श्री वाई. कृष्ण, —सदस्य
   डी-12, आनन्द निकेतन,
   नई दिल्ली-110021

5. डा. रईस अहमद, —सदस्य
   सी-27, एशियन गेम्स विलेज,
   नई दिल्ली-110049

2. माननीय न्यायमूर्ति श्री वी.बी. इराडी का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। अन्य सदस्य अपना कार्यभार संभालने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए अंशकालिक आधार पर होंगे।

[मिसिल संख्या 9/5/87-सी.पी.यू.]
बी.के. सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FOOD & CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies)

New Delhi, the 17th August, 1988

NOTIFICATION

S. O. 760 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (c) of section 9 read with sub-section (1) of section 20 of the Consumer Protection Act, 1986 (68 of 1986), the Central Government hereby, establishes a National Consumer

Disputes Redressal Commission, to be known as the 'National Commission', consisting of the following members, namely :—

1. Hon'ble Justice Shri V. B. Eradi, —President
   Supreme Court Judge (Retired),
   2, Teen Murti Marg, New Delhi.

2. Smt. A. S. Vijaykar, —Member
   D-9, Vikram Puri, Secundarabad-500003.
   Andhra Pradesh.

3. Dr. A. K. Ghosh, —Member
   78, Munirka Enclave,
   New Delhi-110067.

4. Shri V. Krishan, —Member
   D-12, Anand Niketan,
   New Delhi-110021.

5. Dr. Rais Ahmed, —Member
   C-27, Asian Games Village,
   New Delhi-110049.

2. Hon'ble Justice V. B. Eradi shall hold his office for a period of 3 years. Other members shall be on part time basis for a period of one year from the date they assume charge.

[File No. 9|5|87-CPU]
B. K. SINHA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1988

रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 408] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 17, 1988/श्रावण 26, 1910
No. 408] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 17, 1988/SRAVANA 26, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 1988

अधिसूचना

धन-कर

का.आ. 761(अ): केन्द्रीय प्रत्यक्ष-कर बोर्ड धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) की धारा 46 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धन-कर अधिनियम, 1957 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम धन-कर (तीसरा संशोधन) नियम, 1988 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंने।

2. धन-कर नियम, 1957 में, प्ररूप धक के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात् :

"प्ररूप धक

(नियम 4क और 4कक देखिए)

धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 22ग (1) के अधीन मामलों के समझौते के लिए आवेदन का प्ररूप

समझौता आयुक्त ..... के समक्ष

* समझौता आवेदन सं. .... 19..... से 19....

1. आवेदक का पूरा नाम और पता

2. स्थायी लेखा संख्यांक

3. प्रास्थिति, (टिप्पण 4 देखिए)

4. आयुक्त जिसकी अधिकारिता के अधीन आवेदक है।

5. निर्धारण वर्ष जिसके (जिनके) संबंध में समझौते के लिए आवेदन किया गया है)

6. स्तंभ 5 में विनिष्ट निर्धारण वर्ष (वर्षों) के लिए धन की विवरणी फाइल करने की तारीख।